[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।,खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 11 अगस्त, 2017

अधिसूचना

सं0 71/2017-सीमा शुल्क

सा0का0नि0 (अ)- केन्द्रीय सरकार सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 50/2017-सीमा शुल्क, तारीख 30 जून, 2017, सा.का. नि. 785(अ), तारीख 30 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में,

(i) क्रम सं0 57 में, स्तंभ (3) में मद ।। के खंडों (क), (ख) और (ग) के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि क्रमश: ''7.5%'' के स्थान पर प्रविष्टि ''15 %'' प्रतिस्थापित की जाएगी ;

(ii) क्रम सं0 61 में स्तंभ (4) की प्रविष्टि क्रमश: “12.5%” के स्थान पर “17.5%” प्रतिस्थापित की जाएगी ;

(iii) क्रम सं0 65 में स्तंभ (4) की प्रविष्टि क्रमश: “15%” के स्थान पर “25%” प्रतिस्थापित की जाएगी ।

(फा.सं.354/203/2012-टीआरयू)

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं0 50/2017-सीमा शुल्क, तारीख 30 जून, 2017, सा.का.नि. 785 (अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा अधिसूचना सं. 70/2017-सीमा शुल्क, तारीख 31 जुलाई, 2017 सा.का.नि. 984 (अ), तारीख 31 जुलाई, 2017 द्वारा किया गया था ।